ANNEXURE-XVIII

रजिस्ट्री सं. डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2001/चैत्र 7, 1923

No. 147] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2001/CHAITRA 7, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2001

सा.का.नि. 221 (अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 29 दिसंबर, 2000 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 948(अ) तारीख 29 दिसंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 2 जनवरी, 2001 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 44, 47, 49, 51, 54, 56, 64 की धारा 88 की उपधारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। उपनियम 8 के खंड (1), उपनियम (17), उपनियम (18) के सिवाय, जो ऐसे प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात प्रवृत्त होंगे और उपनियम (22) 1 अक्तूबर, 2002 से प्रवृत्त होगा।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989—

(1) नियम 1 के, उपनियम 3 में, "नियम 103 के उपनियम (3)" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(2) नियम 4 में—

(1) मद सं 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(2) मद सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(3) नियम 5 में, उपनियम, (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति जारी करने या चालन अनुज्ञप्ति में किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यान को जोड़ने या परिवहन यान से भिन्न किसी यान के चालन की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ प्ररूप 1 में एक शारीरिक समर्थता संबंधी स्वघोषणा होगी और परिवहन यान चालन की अनुज्ञप्ति के ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्ररूप 1क में जारी किया गया एक चिकित्सा प्रमाणपत्र होगा।"

(4) नियम 9 में, "संविधान की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर "संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे।

(5) नियम 11 में उप नियम (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"(घ) राज्य सरकार द्वारा इस बाबत मान्यताप्राप्त और अधिसूचित किसी संस्थान द्वारा किसी धारक को जारी किया गया इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र होगा कि उसे उपनियम (1) में निर्दिष्ट विषयों का पर्याप्त ज्ञान और समझ है";

(6) नियम 21 में मद (24) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(25) किसी यान के चालन के दौरान मोबाइल फोन प्रयोग करना।";

(7) नियम 32 में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

क्र. सं	प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
1	2	3	4	5
1.	प्रत्येक वर्ग के यान की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी करने या उसके नवीकरण के संबंध में	तीस रुपए	10	8
2.	प्ररूप 6 में कोई चालन अनुज्ञप्ति जारी कर के संबंध में	चालीस रुपए	14(ख)	9
3.	प्ररूप 7 में कोई चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में	एक सौ पचास रुपए इसमें कंपयूटरीकृत चित्र की लागत भी सम्मिलित है	14(ख)	9
4.	चालन सक्षमता परीक्षण के लिए	पचास रुपए	14(ख)	9
5.	प्ररूप 6 में चालन अनुज्ञप्ति में कोई अन्य वर्ग को जोड़ने के संबंध में	तीस रुपए	17(1)(ख)	11
6.	प्ररूप 6 में कोई चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरणी के संबंध में	पचास रुपए	18(1)(क)	13
7.	ऐसे मोटर यान के चालन के लिए जिसके लिए बढ़ाई गई अवधि के पश्चात आवेदन किया गया है प्ररूप 6 में चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण संबंध में	तीस रुपए	—	15
8.	प्ररूप 7 में चालन अनुज्ञप्ति में किसी अन्य वर्ग के मोटर यान को जोड़ने और प्ररूप 7 में चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के संबंध में	एक सौ पचास रुपए इसमें कंप्यूटरीकृत चित्र की लागत भी सम्मिलित है	17(1)(घ) 18(1)(क)	11
9.	चालन में प्रशिक्षण देने के लिए किसी विद्यालय या स्थापन को अनुज्ञप्ति जारी करने और उसके नवीकरण के संबंध में	दो हजार पांच सौ रुपए	24(2)	12

1	2	3	4	5
10.	चालन में प्रशिक्षण देने के लिए किसी विद्यालय या स्थापन को अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के संबंध में	दो हजार पांच सौ रुपए	26(2)	12
11.	नियम 30 में निर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में	सौ रुपए	30(1)	17";

(8) नियम 50 में;—

(क) उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) इस नियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् विनिर्मित यानों पर, धारा 41 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिह्न, निम्नलिखित विनिर्देशों वाली सुरक्षा अनुज्ञप्ति प्लेट के आकार में, सभी मोटर यानों के सामने और पीछे के भाग पर स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(i) प्लेट, डी आई एन 1745/डी आई एन 1783 या आई एस ओ 7591 की अनुपालना में 1.0 मि.मि. एल्यूमीनियम की ठोस इकाई होगी। लगभग 10 मि.मि. तक की क्षति से बचने के लिए प्लेट के किनारों और कोरों को गोल किया जाएगा और प्लेट का किनारा समुद्भृत होगा। प्लेट हॉट स्टाम्पिंग के लिए समुचित होगी और परावर्ती शीट की अविनश्वर प्रकृति की कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रत्याभूति होगी। लीजेंड और किनारों की पत्रस्ट कलरिंग, हॉट स्टाम्पिंग द्वारा की जाएंगी ;

(ii) प्लेट के सबसे बांए केन्द्र पर नीले रंग में "आई एन डी" अक्षर होने चाहिए। अक्षरों का आकार नियम 51 में वर्णित अक्षरों के आकार का 1/4 होना चाहिए और ये परिक्ष में गढ़े होने चाहिए या इन्हें हॉट स्टाम्पिंग द्वारा लगाया जाना चाहिए और ये प्लेट का अभिन्न भाग होंगे ;

(iii) प्रत्येक प्लेट की, उस पर यथा अनुमोदित हॉट स्टाम्पिंग द्वारा क्रोमियम आधारित होलोग्राम लगाकर कूटकरण से सुरक्षा की जाएगी। इस पर स्टीकर और चिपकाने वाले लेबल लगाना अनुज्ञात नहीं है। प्लेट पर न्यूनतम 7 अंकों का स्थायी क्रमवर्ती संख्यांक होगा, जिसे परावर्ती शीटिंग में लेजर से छापा जाएगा और हॉट स्टाम्पिंग फिल्म पर सत्यापन उत्कीर्ण लेख होगा।

(iv) सामने और पीछे के भाग पर रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के अलावा यान की विंडशील्ड के ऊपरी बाएं कोने पर स्वःविनाशक प्रकार के क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर के रूप में तीसरा रजिस्ट्रीकरण चिन्ह चिपकाया जाएगा। स्टीकर पर, रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे जैसे रजिस्ट्रीकरण सांख्यिकीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी आदि मुद्रित होंगे। तीसरा रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/अनुज्ञप्त प्लेट विनिर्माता के अनुमोदित डीलर द्वारा नियमित रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के साथ जारी किए जाएंगे और इसके पश्चात् यदि ऐसा स्टीकर नष्ट हो जाता है तो यह अनुज्ञप्त प्लेट के विनिर्माता द्वारा जारी किया जाएगा।

(v) प्लेट को, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के परिसर में यान के पिछली तरफ हटाए न जा सकने वाली/पुनः उपयोग में न लाए जा सकने वाली स्नेप लाक फिटिंग प्रणाली के साथ किया जाएगा।

उपर्युक्त विनिर्देशों और यान के लिए विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के साथ नम्बर प्लेटें, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या अनुज्ञप्त प्लेट के विनिर्माता के अनुमोदित डीलरों द्वारा जारी की जाएंगी। उपर्युक्त विनिर्देशों की रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के आपूर्तिकर्ताओं को केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करेगी।

(vi) यानों के विभिन्न वर्गों के लिए प्लेटों का आकार निम्न होगा :

दो पहिया और तीन पहिया यानों के लिए 200×100 मि.मि. हल्के मोटर यानों/यात्री कारों के लिए 340×200 मि.मि./500×120 मि.मि.

एम सी वी, एच सी वी और ट्रेलर/मिश्रण के लिए 340×200 मि.मि.";

परन्तु यह कि यह उपनियम पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों को प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष पश्चात् लागू होगा।

(ख) उपनियम (2) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"(घ) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के अक्षर अंग्रेजी में होंगे और अंक अंतरराष्ट्रीय संख्या में होंगे तथा अक्षर और अंक उत्कीर्णित होंगे तथा हाट स्टाम्प किए हुए होंगे तथा निम्न प्रकार से दर्शित किए जाएंगे :—

(क) परिवहन यानों की दशा में पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग में और

(ख) अन्य दशाओं में, सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग में,

ट्रेलर पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह बाईं ओर पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग में प्रदर्शित होगा। इसके अतिरिक्त ट्रेलर पर खींचने वाले यान पर भी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदर्शित होगा और यह प्रति परावर्ती प्रकार की पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग में यथास्थिति ट्रेलर के पीछे की ओर दाईं तरफ या अंतिम ट्रेलर पर प्रदर्शित होगा'';

(9) नियम 53 के उपनियम (2) में ''मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''अंतिम रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे।

(10) नियम 62 में, उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

''परन्तु यह कि कोई ठीक होने का प्रमाणपत्र केवल तभी नवीकृत किया जाएगा जब निरीक्षण आफिसर नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट परीक्षण कर लेता है ; अर्थात् :—

सारणी

मद	ठीक होने की जांच	मेक/टाइप/रेटिंग आदि जांच की	जांच की दशा	कार्यकरण की जांच	परीक्षण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
स्पार्क प्लग/संपीडक टोपी/ उच्च विभव केबल	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	—
हैडलैंप बीमें	हां	नहीं	हां	हां	जांच	बीमें फोकस उपबंध 7 के अनुसार है।
अन्य लाइट	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	यह भी सुनिश्चित करें कि अप्राधिकृत लाइटें नहीं लगी हैं।
परावर्तक	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	सुनिश्चित करें कि परावर्तक का रंग नियम 104 के अनुसार है।
बल्ब	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	सुनिश्चित करें कि हैड लाइट बल्ब विशेषतया हैलोजन की वाटेज आई एस 1606-1993 में यथा उपदर्शित से अधिक नहीं है।
रियर व्यू मिरर	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	
सुरक्षा कांच	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	अप्रैल, 1996 के पश्चात् विनिर्मित यानों के लिए लैमिनेटिड विंडस्क्रीन शीशों का उपयोग किया गया है।
हार्न	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	—
साइलैंसर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	सुनिश्चित करें कि रिसाव न हो।

1	2	3	4	5	6	7
डेश बोर्ड उपस्कर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	—
विंड शील्ड वाइपर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	—
[illegible] उत्सर्जन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	यह प्रमाणपत्र कि प्रदूषण नियंत्रण में है।
ब्रेकिंग प्रणाली	हां	नहीं	हां	हां	हां	नियम 96 (डी) के अनुसार
स्पीडोमीटर	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नियम 117 के अनुसार
स्टीयरिंग गेयर	हां	नहीं	हां	हां	मुक्त घुमाव की जांच करें	स्टेयरिंग व्हील वाले यानों की नियम 98 के अनुसार मुक्त घुमाव की जांच करें।

स्पष्टीकरण निरीक्षण अधिकारी से धारा 213 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।";

(ii) नियम 75 के उपनियम 2 में, "प्रत्येक राज्य सरकार" शब्दों से पूर्व "यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा वांछित हो तो राज्य सरकार" शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ;

(12) नियम 76 में,—

(i) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"6. दिल्ली में किसी राजनयिक मिशन से संबंधित किसी मोटरयान या उसके किसी राजनयिक अधिकारी को "सी डी" अक्षरों से युक्त कोई रजिस्ट्रीकरण चिह्न दिया जाएगा जिसमें उसके पश्चात् भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा उस मिशन को आबंटित संख्या और निम्नलिखित रीति में रजिस्ट्रीकरण द्वारा यान को आबंटित कोई संख्या दी जाएगी, अर्थात् :—

(i) किसी मिशन के प्रमुख के उपयोग के लिए रखे गए किसी शासकीय यान को "1" सं. आवंटित की जाएगी;

(ii) मिशन के प्रमुख के वैयक्तिक यानों को "1" संख्या आवंटित की जाएगी और उसके पश्चात् लगातार वर्णमाला क्रम में "ए" अक्षर से प्रारंभ होगी;

(iii) खंड (i) में निर्दिष्ट शासकीय यानों से भिन्न यानों को "2" संख्या से प्रारंभ होकर निरंतर संख्या आबंटित की जाएगी।

(iv) मिशन के अन्य अधिकारियों के यानों को खंड (iii) के अधीन आबंटित अंतिम संख्या के पश्चात् निरंतर क्रम में संख्या आबंटित की जाएगी ;

(v) किसी मिशन या मिशन के प्रमुख से भिन्न इसके राजनयिक अधिकारी द्वारा अर्जित यानों को, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसा यान मिशन के या इसके अधिकारियों के शासकीय या वैयक्तिक उपयोग के लिए है, खंड (iv) के अधीन आबंटित अंतिम संख्या के पश्चात् निरंतर क्रम में संख्या आबंटित की जाएगी ;

(vi) खंड (i) से (iv) के अधीन किसी यान को आबंटित संख्या जो ऐसे यान के विक्रय या निर्यात अथवा इसके संख्यांक के रद्दकरण के कारण अनप्रयुक्त पड़ा हुआ है, उसी खंड के अधीन जिसके संबंध में उपनियम (1) के अधीन आवेदन किया गया है, दूसरे यान को आबंटित कर दिया जाएगा";

(ii) उपनियम (7) में, "दिल्ली से बाहर" शब्दों के स्थान पर "किसी केरियर कौंसिलीय अधिकारी के अधीन" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) सम्मानिक कौंसिलीय अधिकारियों द्वारा धारित कौंसिलिय पद के लिए मानक साइज की संख्या प्लेटों का उपयोग किया जाएगा, जिस पर संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों द्वारा दिया गया सामान्य रजिस्ट्रीकरण संख्या होगी तथापि वे "देश का नाम" के पश्चात् "सी सी (आनरेरी)" शब्दों का उसी मौलिकता और रंग में उपयोग कर सकेंगे (उदाहरणार्थ काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में संख्या और अक्षर) किंतु अक्षर उनके यानों के अधिक से अधिक दो यानों पर रजिस्ट्रीकरण संख्या से छोटे होंगे।";

(13) नियम 81 में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रत्येक यान की बाबत व्यापार प्रमाणपत्र का दिया जाना और उसका नवीकरण—	—	—	—
	मोटर साइकिल	पचास रुपए	34(1)	
	अशक्त यात्री गाड़ी	पचास रुपए		
	अन्य	दो सौ रुपए		
2.	व्यापार प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति	—	38(1)	—
	मोटर साइकिल	तीस रुपए		
	अशक्त यात्री गाड़ी	तीस रुपए		
	अन्य	एक सौ रुपए		
3.	नियम 46 के अधीन अपील	एक सौ रुपए	46(1)	—
4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना, उसका नवीकरण तथा नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का समनुदेशन		47(1) 52(1) 54(1) 76(1) और 78(1)	
	अशक्त यात्री गाड़ी	बीस रुपए		
	मोटर साइकिल	साठ रुपए		
	हल्का मोटर-यान			
	(i) गैर परिवहन	दो सौ रुपए		
	(ii) हल्का वाणिज्यिक यान	केवल तीन सौ रुपए		
	मध्यम मालयान	चार सौ रुपए		
	मध्यम यात्री मोटर यान	चार सौ रुपए		
	भारी माल यान	छह सौ रुपए		
	भारी यात्री मोटर यान	छह सौ रुपए		
	आयातित मोटर यान	आठ सौ रुपए		
	आयातित मोटर साइकिल	दो सौ रुपए		
	कोई अन्य यान जो ऊपर वर्णित नहीं है	तीन सौ रुपए		
5.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना	क्र. सं. 4 में वर्णित फीस की आधी रकम	53(2)	
6.	स्वामित्व का अन्तरण	क्र. सं. 4 में वर्णित फीस की आधी रकम	55(2) (iii), 55 (3), 56 (2) (क) और 57 (1) (क)	
7.	निवास स्थान में परिवर्तन	बीस रुपए	59	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन करना	पचास रुपए		
9.	अवक्रय/पट्टा/आडमान करार का पृष्ठांकन	केवल एक सौ रुपए	60	
10.	अवक्रय/पट्टा/आडमान करार का रद्दकरण या नए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को जारी किया जाना	केवल एक सौ रुपए	61 (1) और (2)	
11.	ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र देने और उसके नवीकरण के लिए परीक्षण करना—			
	(i) दो/तीन पहिया यान	एक सौ रुपए	62(2)	
	(ii) हल्का मोटर यान	दो सौ रुपए		
	(iii) मध्यम मोटर यान	तीन सौ रुपए		
	(iv) भारी मोटर यान	चार सौ रुपए		
12.	मोटर यानों के ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र दिया जाना और उसका नवीकरण	एक सौ रुपए	62(2)	
13.	प्राधिकार पत्र का दिया जाना और उसका नवीकरण	पांच हजार रुपए	63(2) (क)	
14.	प्राधिकार पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना	पांच हजार रुपए	66 (2)	
15.	नियम 70 के अधीन अपील	चार सौ रुपए	71 (1)'';	

टिप्पण :—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि मध्यम यात्री मोटरयान, भारी माल यान, आयातित मोटर यान और इस सारणी में क्रम संख्या 4 में उल्लिखित न किए गए किसी अन्य यान में परिवहन और गैर परिवहन यान सम्मिलित हैं ।'';

(14) नियम 88 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(4) 50 टन से अधिक सकल यान भार ले जाने के लिए अनुमोदित, किसी ऐसे बहु-धुरा ट्रेलर की बाबत, जो 25 वर्ष से अधिक पुराना है किसी भी समय राष्ट्रीय परमिट मंजूर नहीं किया जाएगा, 25 वर्ष की अवधि, उक्त ट्रेलर के प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से संगणित की जाएगी।

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजन के लिए ''बहु-धुरा ट्रेलर'' से ऐसा ट्रेलर अभिप्रेत है, जिसमें दो से अधिक धुरे हों।''

(15) नियम 89 का लोप किया जाएगा।

(16) नियम 93 में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(i) ''जो निम्नलिखित से अधिक न हो—'' शब्दों और डैस के स्थान पर ''जो 2.6 मीटर से अधिक न हो।'' शब्द, अंक और विराम रखे जाएंगे;

(ii) खंड (i) और (ii) का लोप किया जाएगा।

(iii) स्पष्टीकरण में, ''(जब प्रवर्तन में हो)'' कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर ''बाडी के प्रत्येक ओर 20 मिली मीटर अधिकतम मोटाई वाली रब-रे (रबड़ बीडिंग)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(2) ट्रेलर के इतर प्रत्येक मोटर यान की सकल लंबाई निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी।

(i) परिवहन यान से इतर ऐसे मोटर यान की दशा में, जिसमें दो से अनधिक धुरे हों, 6.5 मीटर;

(ii) दो धुरे या अधिक के रिजीड फ्रेम वाले परिवहन यान की दशा में, 12 मीटर;

(iii) दो से अधिक धुरे वाले आर्टिकुलेटिड यानों की दशा में, 16 मीटर;

(iv) ट्रक ट्रेलर या ट्रेलर ट्रैक्टर संयोजन की दशा में, 18 मीटर;

(v) 3 धुरे वाले यात्री परिवहन यान की दशा में, 15 मीटर;

(vi) एकल आर्टिकुलेटिड (वेस्टिब्यूल प्रकार) यात्री परिवहन यान की दशा में, 18 मीटर (कृपया नीचे टिप्पण में दी गई शर्तें देखिए);

(vii) दोहरे आर्टिकुलेटिड यात्री परिवहन यान की दशा में, 25 मीटर (कृपया नीचे टिप्पण में दी गई शर्तें देखिए)।

टिप्पण :

18 मीटर लंबाई के एकल आर्टिकुलेटिड यात्री परिवहन यानों और 25 मीटर तक की लंबाई के दोहरे आर्टिकुलेटिड यात्री परिवहन यानों की दशा में उन्हें किन्हीं चुनिंदा मार्गों पर चलाने के संबंध में स्थानीय मार्गों की स्थिति, चौड़ाई ट्रैफिक में यान के आगे बढ़ने पर निर्भर करते हुए, जैसा कि ठीक समझा जाए, राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। इन यात्री परिवहन यानों से यह भी अपेक्षित होगा कि उनमें सुरक्षा बनाए रखने के लिए, चालक द्वारा यात्री परिवहन यान के इर्द-गिर्द समुचित दृश्यता के लिए क्लोज्ड सर्किट टी वी प्रणाली होगी। ऐसे यात्री परिवहन यान में इंटरकॉम प्रणाली भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, दोहरे आर्टिकुलेटिड यात्री परिवहन यान में खड़े हुए यात्री केवल निचले डेक पर ही अनुज्ञात किये जाएंगे।

(17) नियम 94 के उपनियम (3) में खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"(iv) विनिर्माण के समय टायर में जड़े हुए ट्रीड वियर इंडिकेटर (टी डब्ल्यू आई) के नीचे, न्यूनतम नॉन स्किड गहराई (एम एन एस डी) दो/तीन पहिया वाहनों की दशा में 0.8 मि. मी. और अन्य मोटर यानों की दशा में 6 मि. मी. से कम नहीं होगी।"

(18) नियम 95 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) प्रत्येक टायर विनिर्माता, किसी व्यापार चिह्न या टायर के आकार के अतिरिक्त इस पर निम्नलिखित भी समुद्भृत करेगा; अर्थात्:—

(i) विनिर्माण का सप्ताह/वर्ष कोड; और

(ii) अधिकतम भार ले जाने की क्षमता;"

(19) नियम 120 के उपनियम (2) में "भा मा: 3028-1980" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "भा मा: 3028-1998" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(20) नियम 122 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) यान विनिर्माता, उस स्थान की बाबत प्रमाण परीक्षण अभिरक्षण को सूचित करेगा, जहां संख्या समुद्भृत या उत्कीर्णित या खुदा हुआ होगा जिसमें प्रत्येक माडल की बाबत उत्पादन के वर्ष और मास के लिए कोड सम्मिलित है और ऐसे परीक्षण अभिकरण में, नियम 126 के अधीन उस अभिकरण द्वारा मंजूर किए गए प्रमाणपत्र के अनुपालन में ये ब्यौरे सम्मिलित होंगे। कोई भी विनिर्माता परीक्षण अभिकरण को, जो इन नियमों के अनुपालन का प्रमाणपत्र मंजूर करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पूर्व सूचित किए बिना उत्पादन के मास और वर्ष के कोड के लिए उत्कीर्णन, खुदाई करने के स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा :

परंतु यह कि किसी भी दशा में छह मीटर से अन्यून की समग्र लंबाई वाले यानों के लिए उत्कीर्णित, खुदी हुई या लिखी हुई चेसिस संख्या की ऊंचाई 5 मि. मी. से कम नहीं होगी और छह मीटर से अधिक की समग्र लंबाई वाले यान के लिए सात मि. मी. से कम नहीं होगी।

(21) नियम 124 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे किन्हीं क्रांतिक संघटकों पर, जिनकी सरकारों द्वारा समय-समय पर सुसंगत भारतीय मानकों की अनुपालना के लिए पहचान की गई है, कोई क्वालिटी चिन्ह समुद्भृत करने के लिए कोई स्कीम बना सकेगी और ऐसे चिन्ह भा.मा.ब्यू. द्वारा प्रचालित आई एस आई चिन्ह के साथ चिन्हित किए जाएंगे या उनके साथ नियम 126 के अनुसरण में परीक्षण अभिकरणों में से किसी का टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र होगा।"

(22) नियम 125 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) भारी यात्री यान, मोटर साइकिल और तिपहिया यानों से इतर प्रत्येक मोटर यान का विनिर्माता ऐसे प्रत्येक यान को पिछली सीट पर बैठने वाले यात्री के लिए सीट बेल्ट से सज्जित करेगा।"

(23) नियम 126 क में "नियम 115" शब्द और अंकों के स्थान पर "अधिनियम की धारा 110 के अधीन बनाए गए नियमों" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(24) प्ररूप 1 क में ऊपर दाईं ओर आवेदक के फोटो के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा;

(25) प्ररूप 2 में,—

(i) मद (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) परिवहन यान";

(ii) मद (छ) और (ज) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(26) प्ररूप 4 में—

(i) मद (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) परिवहन यान";

(ii) मद (छ) और (ज) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(27) प्ररूप 6 में—

(i) "मध्यम माल यान" शब्दों के स्थान पर "परिवहन यान" शब्द रखे जाएंगे।

(i) "भारी माल यान" और "भारी यात्री मोटर यान" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(28) प्ररूप 8 में—

(i) मद (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) परिवहन यान";

(ii) मद (छ) और (ज) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(29) उपाबंध 6 के पश्चात् निम्नलिखित उपाबंध अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उपाबंध-7

[नियम 62(1) के नीचे सारणी देखिए]

शीर्ष लैंप बीम की जांच :

जब 10 मीटर की दूरी से परीक्षण किया जाता है तो गुजरती हुई बीम की क्षैतिज कट ऑफ दूरी, किसी बिना लदे यान की स्थिति में सर्वदा शीर्ष लैम्प केंद्र रेखा के नीचे होनी चाहिए तथा उसमें अन्तर पांच सेंटीमीटर से पच्चीस सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए।

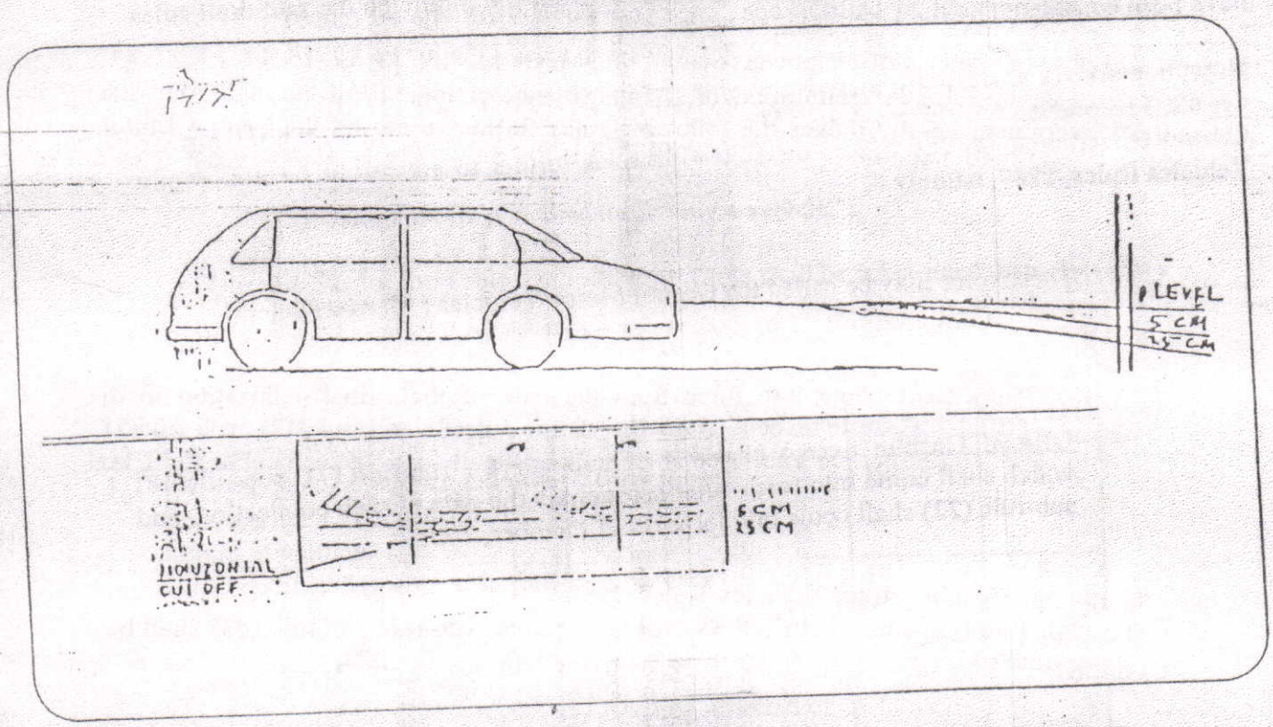

[फा. सं. आरटी.-11028(3)/2000-एम.वी.एल.]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण :

मूल नियम सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 642(अ) तारीख 28 जुलाई, 2000 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2001

G.S.R. 221 (E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) with the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. G.S.R. 948(E), dated the 29th December, 2000 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29 December, 2000 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 30 days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 2nd January, 2001;

And, whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sections 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 44, 47, 49, 51, 54,56, 64, sub-section (14) of section 88 and section 110 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely :-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (1st Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette except clause(I) of sub-rule(8), sub-rule(17), sub-rule(18) which shall come into force after six months the date of such publication, and sub-rule (22) shall come into force on 1st October, 2002.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -

(1)in rule 1, in sub-rule (3), the words and figures "sub-rule 3 of rule 103" shall be omitted;

(2) in rule 4,-

(i) item No.5 and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) item No.7 and entries relating thereto shall be omitted;

(3) in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every application for the issue of a learner's licence or a driving licence or for making addition of another class or description of a motor vehicle to a driving licence or for renewal of a driving licence to drive a vehicle other than a transport vehicle shall be accompanied by a self declaration as to the physical fitness as in Form I and every such application for a licence to drive a transport vehicle shall be accompanied by a medical certificate in Form I-A issued by a registered medical practitioner referred to in sub-section (3) of section 8.";

(4) in rule 9, for the words and figures "specified in the VII schedule of the Constitution", the words and figures "specified in the VIII Schedule of the Constitution" shall be substituted;

(5) in rule 11, in sub-rule (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(d) the holder of a certificate to the effect of the possession of adequate knowledge and understanding of the matters referred to in sub-rule (1), issued by any institution recognized and notified in this regard by the State Government.";

(6)in rule 21, after item No.24, the following shall be inserted, namely:-

"(25) Using mobile phone while driving a vehicle.";

(7)in rule 32, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE

Serial No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	In respect of issue or renewal of learner's licence of each class of vehicle.	Thirty rupees	10	8
2.	In respect of issue of a driving licence in Form 6.	Forty rupees	14 (b)	9
3.	In respect of issue of a driving licence in Form 7.	One hundred and fifty rupees including the cost of computerised chip	14 (b)	9
4.	For test of competence to drive.	Fifty rupees	14 (b)	9
5.	In respect of addition of another class of vehicle to driving licence in Form 6.	Thirty rupees	17 (1)(d)	11
6.	In respect of renewal of driving licence in Form 6.	Thirty rupees	18(1)(a)	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	In respect of renewal of a driving licence in Form 6 to drive a motor vehicle for which application is made after the grace period.	Thirty rupees		15
8.	In respect of addition to another class of motor vehicle to the driving licence in Form 7 and renewal of driving licence in Form 7.	One hundred and fifty rupees including cost of computersied chip	17(1)(d) 18(1)(a)	11
9.	In respect of issue and renewal of licence to a school or establishment for imparting instructions in driving.	Two thousand and five hundred rupees	24(2)	12
10.	In respect of issue of duplicate licence to the school or establishment imparting instructions in driving.	Two thousand and five hundred rupees	26(2)	12
11.	In respect of an appeal against the orders of licencing authority referred to in rule 30.	One hundred rupees	30(1)	17";

(8)in rule 50, -

(a) for sub-rule(1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(I)On or after commencement of this rule, the registration mark referred to in sub-section (6) of section 41 shall be displayed both at the front and at the rear of all motor vehicles clearly and legibly in the form of security license plate of the following specifications, namely:-

(i)the plate shall be a solid unit made of 1.0 mm aluminium conforming to DIN 1745/DIN 1783 or ISO 7591. Border edges and corners of the plate shall be rounded to avoid injuries to the extent of approx. 10mm and the plates must have an embossed border. The plate shall be suitable for hot stamping and reflective sheet has to be guaranteed for imperishable nature for minimum five years. The fast colouring of legend and border to be done by hot stamping

(ii)the plate should bear the letters " IND" in blue colour on the extreme left center of the plate. The letter should be one fourth of the size of letters mentioned in rule 51and should be buried into the foil or applied by hot stamping and should be integral part of the plate;

(iii)each plate shall be protected against counterfeiting by applying chromium-based hologram, applied by hot stamping. Stickers and adhesive labels are not permitted. The plate shall bear a permanent consecutive identification number of minimum seven digits, to be laser branded into the reflective sheeting and hot stamping film shall bear a verification inscription;

(iv)apart from the registration marks on the front and rear, the third registration mark in the form of self destructive type, chromium based hologram sticker shall be affixed on the left-hand top side of the windshield of the vehicle. The registration details such as registration number, registering authority, etc., shall be printed on the sticker. The third registration mark shall be issued by the registering authorities/approved dealers of the license plates manufacturer alongwith the regular registration marks, and thereafter if such sticker is destroyed it shall be issued by the license plate manufacturer or his dealer;

(v)the plate shall be fastened with non-removable/non-reusable snap lock fitting system on rear of the vehicle at the premises of the registering authority;

The license plates with all the above specifications and the specified registrations for a vehicle shall be issued by the registering authority or approved the license plates manufacturers or their dealers. The Central Road Research Institute, New Delhi or any of the agency authorized by the Central Government shall approve the license plates manufacturers to the above specification;

(vi)the size of the plate for different categories of vehicles shall be as follows:-

For two and three wheelers - 200 x 100 mm

For Light Motor Vehicles/Passenger cars - 340 x 200 mm/500 x 120 mm

For medium commercial vehicles, heavy commercial vehicles and Trailer/combination - 340 x 200 mm:"

Provided that this sub-rule shall apply to already registered vehicles two years from the date of commencement.";

(b)in sub-rule(2), for clause (d), the following shall be substituted, namely:-

"(d)the letters of the registration mark shall be in English and the figures shall be in Arabic numerals and the letters and figures shall be embossed and hot-stamped and shall be shown:-

(A)in the case of transport vehicles in Black colour on yellow background; and

(B)in other cases, in Black colour on White background,

the registration mark on the trailer shall be exhibited on the left hand side in Black colour on yellow background. In addition, the registration mark of the drawing vehicle shall be exhibited on the trailer also and this shall be done on the right hand side at the rear of the trailer or the last trailer as the case may be, in Black colour on retro-reflective type yellow background";

(9)in rule 53, in sub-rule (2), for the words "original registering authority", the words "last registering authority" shall be substituted;

(10) in rule 62, in sub-rule (1), the following proviso shall be added at the end, namely:-

"Provided that the renewal of a fitness certificate shall be made only after the Inspecting Officer has carried the tests specified in the Table given below, namely:-

TABLE

Item	Check Fitment	Check make/ type/ rating, etc. as per original equipment recommendations	Check conditions	Check functioning	Test	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Spark plug/Suppressor cap/High Tension cable	Yes	Yes	Yes	No	No	
Head Lamp Beams	Yes	No	Yes	Yes	Check	Beam focus as per Annexure VII.
Other Lights	Yes	No	Yes	Yes	No	Also ensure that unauthorized lights are not fitted.
Reflectors	Yes	No	Yes	No	No	Ensure colour of reflectors and reflective tapes are as per rule 104.
Bulbs	Yes	Yes	Yes	No	No	Ensure that head light bulbs wattage, especially halogen is not higher than those

						indicated in IS 1606 – 1993 and also ensure that halogen bulbs with P45t caps are not used in all vehicles.
Rear View Mirror	Yes	No	Yes	No	No	...
Safety Glass	Yes	Yes	Yes	No	No	Laminated windscreen glass is used for vehicles manufactured from April, 1996 onwards.
Horn	Yes	No	Yes	Yes	No	...
Silencer	Yes	No	Yes	Yes	No	Ensure no leakage.
Dash board equipment	Yes	No	Yes	Yes	No	...
Wind shield wiper	Yes	No	Yes	Yes	No	
Exhaust emission	No	No	No	No	Yes	Pollution Under Control Certificate.
Braking System	Yes	No	Yes	Yes	Yes	As per Rule 96(8).
Speedometer	Yes	No	Yes	Yes	No	As per rule 117.
Steering gear	Yes	No	Yes	Yes	Check free play	Check freeplay as per rule 98 for vehicles with steering wheel:

Explanation – "Inspecting Officer" means an Officer appointed by the State Government under section 213 of the Act.";

(11) in rule 75, in sub-rule (2), for the words "State Government shall" the words, " State Government shall, if so desired by the Central Government," shall be inserted;

(12) in rule 76, -

(i) for sub-rule (6), the following sub rule shall be substituted, namely :-

'(6)A motor vehicle belonging to a diplomatic mission in Delhi or to any of its diplomatic officer shall be assigned a registration mark consisting of the letters "CD" preceded by the number allotted to the mission by the Ministry of External Affairs of the Government of India and followed by a number allotted to the vehicle by the registering authority in the following manner, namely :-

(i)an official vehicle meant for the use of the head of a mission shall be allotted the number "1";

(ii)personal vehicles of the head of the mission shall be allotted the number "1", followed consecutively, in alphabetical order, by a letter beginning with the letter "A";

(iii)official vehicles, other than those referred to in clause (i), shall be allotted consecutive numbers beginning with the number "2";

(iv) vehicles belonging to other officers of the mission shall be allotted numbers in consecutive order after the last number allotted under clause (iii);

(v) vehicles acquired by a mission or by its diplomatic officer other than heads of missions, shall be allotted numbers in consecutive order after the last number allotted under clause (iv) irrespective of whether such vehicle is for official or personal use of the mission or any of its officers;

(vi)a number allotted to a vehicle under any of the clauses (i) to (iv) , which is lying unutilized due to sale or export of such vehicle or cancellation of its number may be allotted to another vehicle under the same clause in respect of which an application has been made under sub-rule (1).';

(ii) in sub-rule (7), for the words "outside Delhi", the words "headed by a Carrier Counselor Officer" shall be substituted;

(iii)after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted namely:-

"(8)Consular posts headed by Honorary Consular Officers shall use standard size number plates bearing ordinary registration number provided by the concerned registration authorities. They, may however, use the word "name of the country followed by CC(Honorary)" in the same font and colour (i.e. the numbers and letters in White colour on Black background) but in letters smaller than the registration number on a maximum of two of their vehicles.";

(13) in rule 81, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"TABLE"

Serial No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Grant or renewal of trade certificate in respect of each vehicle:		34(1)	
	Motorcycle	Fifty rupees		
	Invalid Carriage	Fifty rupees		
	Others	Two hundred rupees		
2.	Duplicate trade certificate:		38(1)	
	Motorcycle	Thirty rupees		
	Invalid Carriage	Thirty rupees		
	Others	One hundred rupees		
3.	Appeal under rule 46	One hundred rupees	46(1)	

4.	Issue, renewal of certificates of registration and assignment of new registration mark		47(1) 52(1) 54(1) 76(1) and 78(1)
	Invalid Carriage	Twenty rupees	
	Motor Cycle	Sixty rupees	
	Light Motor Vehicle		
	(i) Non-Transport	Two hundred rupees	
	(ii) Light Commercial Vehicle	Three hundred rupees	
	Medium goods vehicle	Four hundred rupees	
	Medium passenger motor vehicle	Four hundred rupees	
	Heavy goods vehicle	Six hundred rupees	
	Heavy passenger motor vehicle	Six hundred rupees	
	Imported motor vehicle	Eight hundred rupees	
	Imported motorcycle	Two hundred rupees	
	Any other vehicle not mentioned above	Three hundred rupees	
5.	Issue of duplicate certificate of registration	Half the fee mentioned against Serial No. 4.	53(2)
6.	Transfer of ownership	Half of the fee mentioned in Serial No. 4	55(2)(iii) 55(3), 56 (2)(a) and 57(1)(a)
7.	Change of residence	Twenty rupees	59
8.	Recording alteration in the certificate of registration	Fifty rupees	
9.	Endorsing hire purchase/ lease/hypothetication agreement.	One hundred only	60
10.	Cancellation of hire-purchase/lease/hypothecation agreement or issue of	One hundred only	61(1)and(2)

	fresh certificate of registration.			
11.	Conducting test of a vehicle for grant and renewal of certificate of fitness:			
	(i)	Two/three-wheeled vehicle	One hundred rupees	62(2)
	(ii)	Light motor vehicle	Two hundred rupees	
	(iii)	Medium Motor Vehicle	Three hundred rupees	
	(iv)	Heavy Motor vehicle	Four hundred rupees	
12.	Grant or renewal of certificate of fitness for motor vehicle		One hundred rupees	62(2)
13.	Grant or renewal of letter of authority		Five thousand rupees	63(2)(a)
14.	Issue of duplicate letter of authority		Five thousand rupees	66(2)
15.	Appeal under rule 70		Four hundred rupees	71(1)

Note :- For the removal of doubts, it is hereby declared that Medium passenger motor vehicle, Heavy goods vehicle, Imported motor vehicle and Any other vehicle not mentioned in Serial No.4 of this Table include both transport and non-transport vehicles.";

(14)in rule 88, after sub-rule(3), the following shall be inserted, namely:-

"(4)No national permit shall be granted in respect of a multi-axle trailer approved to carry a Gross Vehicle Weight of more than 50 tonnes, which is more than 25 years old at any point of time, the period of 25 years being computed from the date of initial registration of the said trailer.";

Explaination:- For the purpose of this rule, "Multi-axle trailer" means a trailer having more than two axles.";

(15)rule 89 shall be omitted;

(16) in rule 93,-

(a) in sub-rule(1),-

(i)for the words "shall not exceed" the words and figures "shall not exceed 2.6 meters.", shall be substituted;

(ii)clauses (i) and (ii) shall be omitted;

(iii) in the Explanation, for brackets and words "(when in operation)", the words brackets, figures and letters "rub-rail (rubber beading) having maximum thickness of 20mm on each side of the body" shall be substituted;

(b)for sub-rule(2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The overall length of the motor vehicle other than trailer shall not exceed –

(i)in the case of motor vehicle other than transport vehicle having not more than two axles, 6.5 metres;
(ii)in the case of transport vehicle with rigid frame having two or more axles, 12 metres;
(iii)in the case of articulated vehicles having more than two axles, 16 metres;
(iv)in the case of truck trailer or tractor trailer combination, 18 metres;
(v)in the case of 3 axle passenger transport vehicles, 15 m;
(vi)in the case of single articulated (vestibule type)passenger transport vehicle, 18 m.(Please see the conditions given in note below);
(vii)in the case of double articulate passenger transport vehicles, 25 metres (Please see the conditions given in note below).

Note

In the case of single articulated passenger transport vehicles of 18 metres length and double articulated passenger transport vehicles upto 25 metres, permission of the State Government shall be obtained regarding their plying on selected routes depending upon local road conditions, width, manoeuverability of the vehicle in traffic, as deemed fit. These passenger transport vehicles will also be required to have a closed circuit TV system for proper visibility in and around the passenger transport vehicle by the driver to maintain safety. Intercom system shall also be provided in such passenger transport vehicle. In addition, the standing passenger will be allowed only on the lower deck of double articulated passenger transport vehicle.";

(17) in rule 94, in sub-rule (3), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv)The Non-Skid Depth(NSD), shall not be less than 0.8mm in the case of two wheeler and three wheeler and 1.6mm in the case of other motor vehicles, below the Tread Wear Indicator(TWI) embedded in tyres at the time of manufacture.";

(18) in rule 95, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) Every tyre manufacturer shall, in addition to any trade mark or size of the tyre, also emboss on it the following, namely:-

(i) Week and Year code or month and year code of manufacture; and
(ii) maximum load carrying capacity.";

(19) in rule 120, in sub-rule(2), for the letters and figures "IS:3028-1980", the letters and figures "IS:3028-1998" shall be substituted;

(20) in rule 122, for sub-rule(2) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2)the vehicle manufacturer shall intimate to the certifying testing agency regarding the place where the numbers shall be embossed or etched or punched including code for the year and month of production in respect of each model and such testing agency shall include these details in the certificate of compliance granted by that agency under rule 126. No manufacturer shall change the place of embossing, etching or punching and the code for the month and year of production without prior intimation by registered post to the testing agency which granted the certificate of compliance to these rules:

Provided that in no case the height of the chassis number embossed, etched or punched shall be less than five millimeters for vehicles having overall length less than six metres and less than seven millimeters for the vehicle having overall length more than six metres.";

(21) in rule 124, after sub-rule(2), the following shall be inserted, namely:-

"(3)The Central Government may, by notification in the Official Gazette, frame a scheme for marking to be affixed on any part or component or assembly to be used in the manufacture of the vehicle and specify the date from which such parts, components or assemblies are to be used in the manufacture of the vehicle.";

(22) in rule 125, after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:-

"(1A)The manufacturer of every motor vehicle other than heavy passenger vehicle, motor cycles and shall equip every such vehicle with a seat belt for the person occupying the rear seat.";

(23) in rule 126A, for the word and figures "Rule 115" the words and figures " rules made under section 110 of the Act" shall be substituted;

(24) in Form 1(A), on the top right hand side space for photograph of the applicant shall be provided;

(25) in Form 2,-

(i) for item (e), the following shall be substituted, namely, :-

"(e)Transport vehicle";

(ii) items (g) and (h) and the entries relating thereto shall be omitted;

(26) in Form 4,-

(i) for item (e), the following shall be substituted, namely, :-

"(e)Transport vehicle";

(ii) items (g) and (h) and the entries relating thereto shall be omitted;

H.S.R.P.

(27) in Form 6,-

(i) for the words "Medium goods vehicle" the words "Transport vehicle" shall be substituted;

(ii) the words, "Heavy goods vehicle", and "Heavy passenger motor vehicle" shall be omitted;

(28) in Form 8,-

(i) for item (e), the following shall be substituted, namely, :-

"(e)Transport vehicle";

(ii) items (g) and (h) and the entries relating thereto shall be omitted;

(29) after Annexure VI, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"ANNEXURE VII
[See Table below Rule62(1)]

CHECK HEAD LAMP BEAM:

THE HORIZANTAL CUT OFF OF THE PASSING BEAM WHEN TESTED AT 10 METERS

DISTANCE IN AN UNLADEN CONDITION OF THE VEHICLE SHALL BE ALWAYS BELOW THE HEAD LAMP CENTRE LINE AND THE DIFFERENCE SHALL BE WITHIN

5 CM TO 25 CM

NOTE:
EACH HEAD LAMP SHALL BE CHECKED INDIVIDUALLY BY BLOCKING THE OTHER LAMP

FIG.;

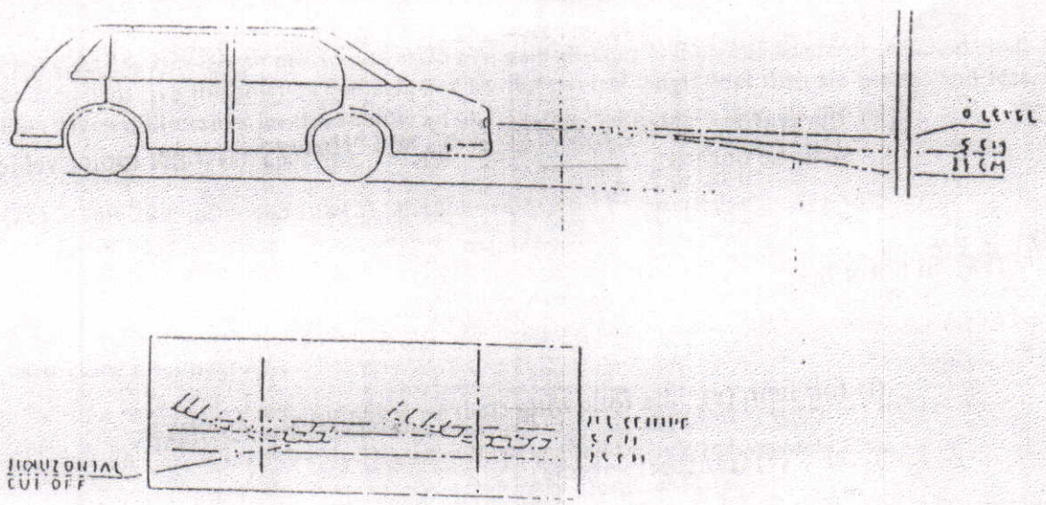

[File No. RT-11028/3/2000-MVL.]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Note:— The principle rules were notified vide GSR 590(E) dt.2nd June,1989 and were last amended vide GSR 642(E) dt.28th July,2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

H.S.R.P.

ANNEXURE - XIX

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 2001/श्रावण 31, 1923

No. 600] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 2001/SRAVANA 31, 1923

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2001

का.आ. 814(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि मोटरयान के लिए नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों की और केन्द्रीय मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 2001 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 में किए गए संशोधनों के प्रति निर्देश से ऐसी प्लेटों के विनिर्माण या प्रदाय के लिए किसी विनिर्माता या विक्रेता द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया की नयी प्रणाली के संबंध में कतिपय मानदंड अधिसूचित किए जाएं, अतः यह केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे मानदंडों को विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

आदेश

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटरयान (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 है;

2. यह 28 सितंबर, 2001 तक नए रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में उसी तारीख से और पहले से रजिस्ट्रीकृत यानों के मामले में राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 2 वर्ष के पश्चात् से प्रवृत्त होगा।

3. लागू होना.—यह आदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में यथा परिभाषित मोटरयानों को लागू होगा।

4. नई अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के विनिर्माता या प्रदायकर्ता निम्नलिखित विनिर्देशों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(i) विनिर्माता या प्रदायकर्ता, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से या केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी परीक्षण अभिकरण से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा;

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्लेट केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 में उपवर्णित विनिर्देशों के अनुरूप होगी और वह समय समय पर अद्यतन किए गए डी आई एन 1745/डी०आई एन 1783 या आई एस ओ 7591 के भी अनुरूप होगी। रजिस्ट्रीकरण प्लेट की कम से कम न्यूनतम पांच वर्ष के लिए अविनश्वर प्रकृति के लिए प्रत्याभूति दी जाती है।

(iii) अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों में अक्षरों की पृष्ठभूमि का रंग वही होगा जो भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 221(अ) तारीख 28-3-2001 में विहित रंग स्कीम के अनुसार हो अर्थात् परिवहन यानों की दशा में पीली पृष्ठ भूमि पर काला रंग और अन्य मामलों में सफेद पृष्ठभूमि पर काला रंग/रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के अक्षर अंग्रेजी में होंगे और अंक अरबी संख्याकों में होंगे, और अक्षर तथा अंक उत्कीर्णित होंगे, ताप स्टांपित नहीं।

(iv) कूट रचना से संरक्षण के लिए 20 मिलीमीटर × 20 मिलीमीटर आकार का एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम प्लेट के शीर्षस्थ बाईं ओर के कोने पर सामने और पीछे दोनों प्लेटों पर ताप स्टांपन द्वारा लगाया जाता है होलोग्राम में दोनों ओर भारत सरकार और "गवर्नमेंट आफ इंडिया" सहित अशोक संप्रतीक होगा जो अशोक संप्रतीक में ऊर्ध्वाधर रूप में क्रमशः बाईं ओर, तथा दायीं ओर होंगे जैसा कि इस आदेश से संलग्न उपाबंध में दिए गए रेखाचित्र में विनिर्दिष्ट है।

(v) कम से कम 5 अंकों की स्थायी पहचान संख्या, रजिस्ट्रीकरण प्लेट के तल के बाईं ओर परावर्ती शीट में लेजर ब्रांड की जानी है जिसमें अंक का आकार 2.5 मिलीमीटर का होगा।

(vi) विज्ञप्ति संख्या के अक्षरों/अंकों पर लगाई जाने वाली ताप स्टापन फिल्म में "इंडिया" उत्कीर्णित होगा।

(vii) स्व-विध्वंसकारी के प्रकार के क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर के रूप में तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट 100 एम एम × 60 एम एम के आकार की होगी, जिसे यान के विण्डशील्ड के बायीं ओर के भीतरी भाग पर लगाई जानी है। स्टिकर पर (i) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम (ii) यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (iii) लेजर ब्रांड किया गया स्थायी पहचान संख्यांक (iv) इंजन संख्यांक और (v) यान का चेसिस संख्यांक के ब्यौरे होंगे। स्टिकर के दाएं कोनों के तल पर, क्रोमियम आधारित होलोग्राम लगाया जाएगा किन्तु यह 10 मि. मी. × 10 एम एम के लघु आकार का होगा तथा स्टिकर में यान का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक केन्द्र में होगा और अक्षरों की ऊंचाई 10 मि. मी. होगी। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम 5 मि. मी. के आकार के अक्षरों में शीर्ष भाग पर होगा। जबकि लेजर ब्रांड वाला स्थायी पहचान संख्यांक, इंजन सं. और चेसिस संख्यांक स्टिकर के तल में बाईं ओर आएंगे। प्रत्येक मामले में अंकों का आकार 2.5 मिलीमीटर का होगा। स्टिकर का चित्र इस आदेश से संलग्न उपाबंध में विनिर्दिष्ट रेखाचित्र में दिया गया है।

(viii) यान के पीछे फिट की गई रजिस्ट्रीकरण प्लेट न हटाने जाने योग्य पुनः प्रयोग न किए जाने योग्य स्नैप लाक सिस्टम से जोड़ी जाएगी। बेहतर सुरक्षा के लिए कम से कम दो ऐसे स्नैप लॉक फिट किए जाएंगे।

(ix) कोई भी अतिसुरक्षा प्लेट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के परिसर से बाहर नहीं चिपकाई जाएगी।

(x) राज्य परिवहन विभाग द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के प्रदाय के लिए चयन किया गया विनिर्माता या विक्रेता संपूर्ण राज्य के लिए या राज्य के किसी प्रदेश के लिए हो सकेगा।

(xi) मोटरयान स्वामियों को रजिस्ट्रीकरण प्लेट का प्रदाय विक्रेता द्वारा सड़क परिवहन अधिकारी या राज्य परिवहन विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी के प्राधिकार पर किया जाएगा।

(xii) किसी विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्लेट के लिए प्रतिभूति संबद्ध परिवहन प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही की जा सकेगी कि पुरानी प्लेट अभ्यर्पित और नष्ट कर दी गई है।

(xiii) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत विनिर्माता या विक्रेता द्वारा जारी की गई रजिस्ट्रीकरण प्लेटों का समुचित अभिलेख दैनिक आधार पर रखा जाना चाहिए और उसका आवधिक रूप से परिवहन कार्यालय के अभिलेखों के साथ मिलान करवाना चाहिए।

(xiv) अतिसुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक लेखा परीक्षा संबंधित परीक्षण अभिकरण द्वारा की जाएगी।

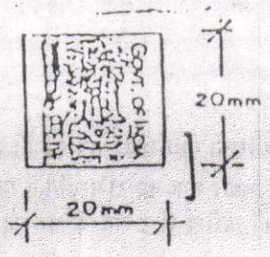

[फा. सं. आर टी-11028/3/2000 एम वी एल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

उपाबंध

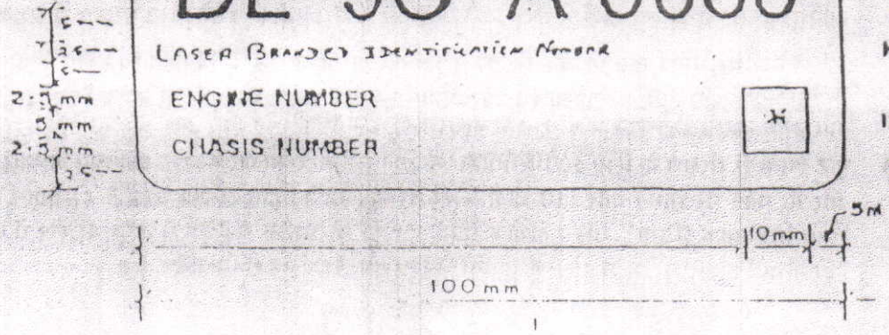

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2001

S.O. 814(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to notify certain standards in respect of the new system of high security registration plates for motor vehicles and the process used by a manufacturer or vendor for manufacturing or supplying such plates with reference to the amendments made in the Central Motor Vehicles Rules, 1989 by the Central Motor Vehicles (Ist Amendment) Rules, 2001, it, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) makes the following order to specify such standards, namely:-

ORDER

1. This Order may be called as the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001.

2. It shall come into force on the 28 day of September, 2001 in case of new registered vehicles from that date and in case of already registered vehicles, two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. Application – This Order shall apply to motor vehicles as defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

4. A manufacturer or supplier of new high security registration plates shall comply with the following specifications, namely:-

(i) The manufacturer or supplier shall have a certificate from the Central Road Research Institute, New Delhi or any one of the testing agencies authorised by the Central Government under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(ii) The registration plate shall conform to the specifications spelt out in rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989; and shall conform to DIN 1745 / DIN 1783 or ISO 7591, as updated from time to time. The Registration Plate has to be guaranteed for imperishable nature for a minimum of five years.

(iii) The background colour of the letters in the High Security Registration Plates shall be the same as per the colour scheme prescribed in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways No.G.S.R.221(E) dated 28.3.2001 namely in black colour on yellow background in case of transport vehicles and in black colour on white background in other cases. The letters of registration mark shall be in English and the figures shall be in Arabic numerals, and the letters and numerals shall be embossed and hot stamped.

(iv) To protect against counterfeiting, a chromium-based hologram of the size of 20 mm X 20 mm is to be applied by hot stamping on the top left-hand corner of the plate in both front and rear plates. The hologram shall contain Ashoka emblem with "Bharat Sarkar" and "Government of India" on each side, on left and right side respectively on Ashoka emblem vertically, as specified in the sketch, as given in the Annexure annexed to this Order.

(v) The permanent identification number of minimum 7 digits is to be laser branded into the reflective sheeting on the bottom left-hand side of the registration plate with the numeral size being 2.5 mm.

(vi) The hot stamping film to be applied on the letters/numerals of the license number shall bear the inscription "INDIA".

(vii) The third registration plate in the form of a self destructive type chromium based hologram sticker shall be of the size of 100 mm X 60 mm is to be affixed on the inner side of left hand corner of windshield of the vehicle. The details on the sticker shall be (i) name of registering authority, (ii)

registration number of the vehicle, (iii) laser branded permanent identification number, (iv) engine number and (v) chassis number of the vehicle. On the bottom of the right corner of the sticker, the chromium based hologram shall be applied but of a smaller size of 10 mm X 10 mm. In the said sticker the registration number of the vehicle shall be in the centre with a letter size of 10 mm in height. The name of registering authority would be on top part of sticker in letter size of 5 mm, while, laser branded permanent identification number, then engine number followed by chassis number shall come in the bottom left side of the sticker with numeral size being 2.5 mm in each case. A depiction of the sticker is given in the sketch as specified in the Annexure annexed to this Order.

(viii) The registration plate fitted in the rear of the vehicle shall be fastened with non-removable/non-reusable snap lock system. For that sake of better security, at least two such snap locks shall be fitted.

(ix) No high security plate shall be affixed outside the premises of the registering authority.

(x) The manufacturer or the vendor selected by the State Transport Department for supply of such registration plates may be for the State as a whole or for any region of the State.

(xi) The registration plate will be supplied to the motor vehicle owners by the vendor against the authorization by the Road Transport Officer or any officer designated for the purpose by the State Transport Department.

(xii) The replacement for any existing registration plate may be made by the concerned transport authority only after ensuring that the old plate has been surrendered and destroyed.

(xiii) A proper record of the registration plates issued by the manufacturer or the vendor, authorized by the State Government, should be maintained on a daily basis and got tallied periodically with the records of the Transport Office.

(xiv) Periodic audit shall be carried out by concerned testing agency to ensure compliance of the requirements of the high security registration plate.

[F. No. RT-11028/3/2000-MVL]
ALOK RAWAT, Jt. Secy.

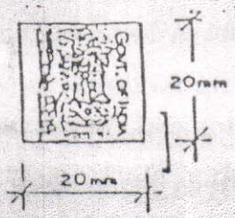

ANNEXURE

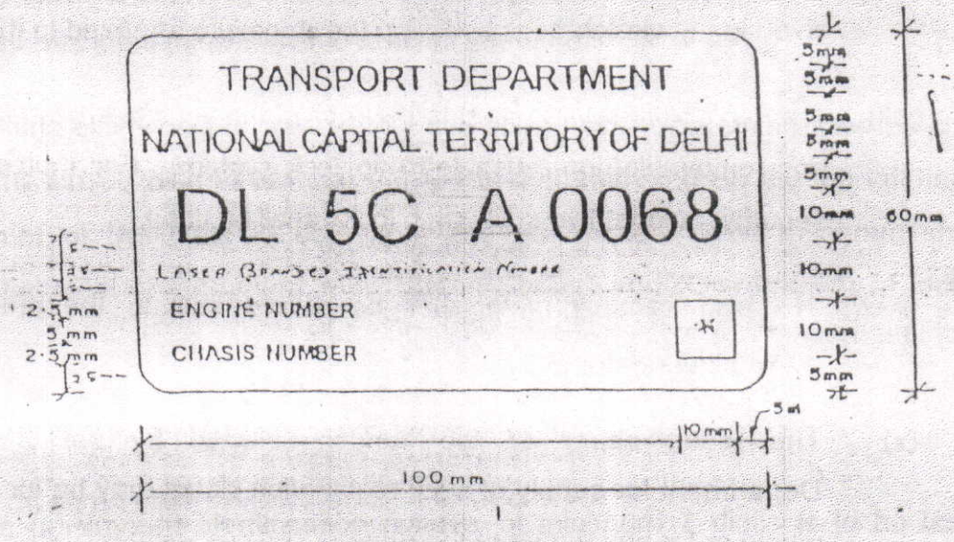

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

H.S.R.P.

ANNEXURE-XX

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2001/आश्विन 2, 1923

No. 686] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2001/ASVINA 2, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2001

का.आ. 938 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 44, 47, 49, 51, 54, 56, 64, धारा 88 की उपधारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त नियमों के नियम 1 के उपनियम (2) में, "उपनियम (8) के खंड (1), उपनियम (17), उपनियम (18) और उपनियम (19) के सिवाय, जो ऐसे प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "नियम 2 के उपनियम (17), (18) और (19) के सिवाय, जो ऐसे प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे और नियम 2 के उपनियम (8) का खंड (क) 30 जून, 2002 को प्रवृत्त होगा", शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आर.टी.-11028/3/2000-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2001

S.O. 938(E).—In exercise of powers conferred by Sections 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 44, 47, 49, 51, 54, 56, 64, sub-section (14) of section 88 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) the Central Government hereby makes the following amendment in the Central Motor Vehicles (1st Amendment) Rules, 2001, namely :—

In the said rules, in rule 1, in sub-rule (2) for the words, brackets and figures "except clause (I) of sub-rule (8), sub-rule (17), sub-rule (18) and sub-rule (19) which shall come into force after six months the date of such publication", the words, brackets and figures, "except sub-rule (17), (18) and (19) of rule 2, which shall come into force after six months from the date of such publication and clause (a) of sub-rule (8) of rule 2 shall come into force on 30th June, 2002" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/3/2000-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

2966 GI/2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

H.S.R.P. / 140 ...

REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 9, 2002/वैशाख 19, 1924
No. 424] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 9, 2002/VAISAKHA 19, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2002

का.आ. 499(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 44, 47, 49, 51, 54, 56, 64, धारा 88 की उपधारा (14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त नियमों के नियम 1 के उपनियम (2) में, "30 जून, 2002" शब्द और अंकों के स्थान पर "28 फरवरी, 2003" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. आरटी-11028/3/2000-एमवीएल]
आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2001, भारत के असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 221(अ), तारीख 28 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 938(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2001 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2002

S.O. 499(E).—In exercise of powers conferred by Sections 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 44, 47, 49, 51, 54, 56, 64, sub-section (14) of section 88 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the Central Motor Vehicles (1st Amendment) Rules, 2001, namely :—

In the said rules, in rule 1, in sub-rule (2), for the words, figures and letters "on 30th June, 2002", the words, figures and letters "on 28th February, 2003" shall be substituted.

[F.No. RT-11028/3/2000-MVL]
ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Note :—The Central Motor Vehicles (1st Amendment) Rules, 2001 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* Notification No. G.S.R. 221(E), dated 28th March, 2001 and subsequently amended *vide* Notification No. S.O. 938(E), dated 24th September, 2001.

1499 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

H.S.R.P. (foreign claims)

ANNEXURE - XXI

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 767] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 16, 2001/आश्विन 24, 1923

No. 767] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 16, 2001/ASVINA 24, 1923

सड़क और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2001

का. आ. 1041(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक और समीचीन है कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 में किए गए संशोधनों के प्रति निर्देश से मोटरयानों के लिए, अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों की नई प्रणाली और ऐसी प्लेटों के विनिर्माण या प्रदाय के लिए किसी विनिर्माता या विक्रेता द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कतिपय मानदंड अधिसूचित किए जाएं :

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटरयान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटरयान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) (संशोधन) आदेश, 2001 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मोटरयान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 के खंड 4 में,—

(क) उपखंड (ii) में "समय-समय पर अद्यतन किए गए डीआईएन 1745/डीआईएन 1783 या आईएसओ 7591 के भी अनुरूप होगी" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "समय-समय पर यथासंशोधित डीआईएन 74069—1975 और आईएसओ 7591—1982 के भी अनुरूप तब तक होगी जब तक तत्संबंधी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) यानों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्लेट का आकार केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 50 के उपनियम (1) के खंड (vi) के अनुसार होगा। तथापि, मोटर साइकिलों के मामले में प्लेट का आकार 285 × 45 मि.मी. हो सकेगा।";

(ग) उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) कूट रचना से संरक्षण के लिए 20 मि.मी. × 20 मि.मी. आकार का एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम प्लेट के शीर्ष पर बाईं ओर के कोने पर सामने और पीछे दोनों प्लेटों पर ताप स्टाम्पन द्वारा लगाया जाना है। होलोग्राम में, जैसा इस आदेश से संलग्न उपाबंध में दिया गया है, नीले रंग में चक्र होगा";

(घ) उपखंड (v) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अरबी संख्यांकों में स्थायी क्रमवर्ती पहचान संख्यांक के पूर्व, यथास्थिति, विक्रेता या विनिर्माता या उस प्रदायकर्ता के, जिसके लिए परीक्षण अभिकरणों द्वारा टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, नाम के निदर्शक दो वर्ण होंगे :

परन्तु यह और कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण निम्नलिखित रूप में उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णों का प्रयोग करेंगे :—

सारणी

क्र. सं.	परीक्षण अभिकरण का नाम	वर्ण
(1)	(2)	(3)
1.	आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे	ए से एच
2.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	आई से पी
3.	यान अनुसंधान विकास स्थापन, अहमदनगर	क्यू से एस

परन्तु यह भी कि अंकों की ऊंचाई सामने और पीछे की रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के लिए 5 मि. मी. होगी और तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट जो स्टिकर के रूप में होगी, के लिए 2.5 मि. मी. होगी";

(ङ) उपखंड (vi) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

'"INDIA" अक्षरों का रंग नीला होगा, जो टाइप एरियल बोल्ड लिपि में 45 डिग्री के कोण पर 10 (दस) फोन्ट आकार में आनुक्रमिक पंक्तियों में होंगे और प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे का दर्पण जैसा प्रतिबिंब होगी';

(च) उपखंड (vii) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"स्टिकर की फिल्म अनिवार्यतः उच्च गुणवत्ता अभिसूचक सहित रिट्रोरिफ्लेक्शन पर्णपत्र की होनी चाहिए और उसमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम जुड़ा हुआ होगा";

(छ) उपाबंध में, होलोग्राम के स्थान पर निम्नलिखित होलोग्राम रखा जाएगा, अर्थात् :—

[फा. सं. आरटी-11028/3/2000-एमवीएल]

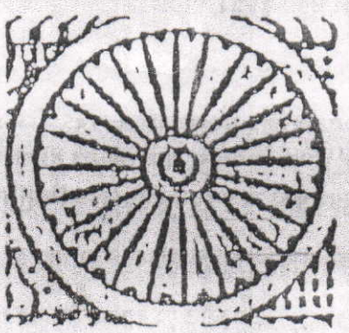

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश अधिसूचना सं. का.आ. 814(अ), तारीख 22 अगस्त, 2001 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा प्रकाशित किया गया था।